न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 04 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 14

राहुल कुमार पुत्र राजकुमार निवासी वार्ड नं. 15 श्रीविजयनगर

–अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 09.03.2023 को उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर में प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. 14 बाबा रामदेव मन्दिर के सामने के क्रय विक्रय सहकारी समिति व नोध सिंह कामरा के भूखण्ड के मध्य स्थित भूखण्ड के भू उपयोग रूपान्तरण करवाया गया है या नहीं यदि नहीं करवाया गया तो आवासीय भूखण्ड पर दूकान निर्माण किन आदेशों से करवाये जा रहे हैं की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा चाही गयी सूचना नगरपालिका श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक / आर.टी.आई. / 2023 / 2152 दिनांक 09.03.2023 के माध्यम से नगरपालिका को प्राप्त हो गया किन्तु इसके एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका के द्वारा प्रार्थी को वांछित सूचनाए जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवायी गयी है एवं मौका पर आवासीय भूखण्ड पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण विधि विरूद्ध तरीके से करवाया जाना प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 250 / – प्रतिदिवस के जुर्माना से दण्डनीय हैं। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को तुरन्त प्रभाव से वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक / रीडर / आरटीआई / 13588 दिनांक 25.05.2023 के अनुसार श्री राहुल कुमार पुत्र श्री राजकुमार निवासी वार्ड नं. 15, श्रीविजयनगर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 09.03.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई, प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगर पालिका श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक / आरटीआई / 2023 / 12152 दिनांक 09.03.2023 द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीविजयनगर के कार्यालय में नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित किया गया। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा प्रार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीविजयनगर की रिपोर्ट क्रमांक 1247 दिनांक 25.05.2023 अनुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.03.2023 को उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

6(1) के तहत सूचना प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा उसी रोज दिनांक 09.03.2023 को अपने पत्रांक आरटीआई/2023/12152 दिनांक 09.03.2023 द्वारा आवेदन पत्र नगरपालिका श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित कर दिया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा क्रमांक/1246 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गयी हैं। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को इस अपील प्रकरण के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रेषित करते समय निवेदन किया गया हैं कि नगरपालिका में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् अध्यक्ष नगरपालिका होने के कारण उक्त अपील पोषणीय नहीं हैं।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन को निर्धारित समयावधि में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर को हस्तांतरित कर आवेदक को सूचित कर दिया था। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के विरूद्ध अपील का कोई आधार नहीं हैं। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर के विरूद्ध प्रथम अपील सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील पोषणीय नहीं हैं। अपील खारिज की जानी उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested